



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल खण्डपीठ रीवा, जिला रीवा (म०प्र०)

श्री विनोद त्रिपाठी एड.  
द्वारा पेशा/ 10.11.15

10.11.15

राजस्व मण्डल म० प्र० खालिका  
(सर्किट कोर्ट) रीवासुरेश प्रसाद वर्मा तनय स्व० श्री रामसुन्दर वर्मा, उम्र लगभग 53



R5168-1115

वर्ष, पेशा नौकरी (शिक्षक), निवासी ग्राम खम्हारी (मनगवॉ) तहसील व थाना मनगवॉ, जिला रीवा (म०प्र०)

आवेदक/निगरानीकर्ता

विरुद्ध

- 1- प्रेमवती पत्नी स्व० रामनाथ विश्वकर्मा, उम्र 60 वर्ष, पेशा नौकरी
- 2- सुनीता पुत्री रामनाथ विश्वकर्मा, उम्र 45 वर्ष  
दोनो निवासी ग्राम खम्हारी (मनगवॉ) तहसील व थाना मनगवॉ, जिला रीवा (म०प्र०), वर्तमान निवासी वार्ड क०-26 पोखरी टोला रीवा, जिला रीवा (म०प्र०)
- 3- रामनिधि वर्मा तनय श्री रामसिया वर्मा, उम्र 58 वर्ष
- 4- रावेन्द्र वर्मा तनय श्री रामसिया वर्मा, उम्र 43 वर्ष
- 5- श्रीमती ज्योत्सना पुत्री रामनाथ वर्मा, दोनो निवासी ग्राम खम्हारी (मनगवॉ), तहसील व थाना मनगवॉ, जिला रीवा (म०प्र०)

गैरनिगराकारगण

राजस्व निरीक्षक मनगवॉ, तहसील मनगवा, जिला रीवा द्वारा सीमांकन प्र०क०-28/अ-12/2014-15 में पारित पुष्टि आदेश दिनांक 11/06/15 के विरुद्ध म०प्र० भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

मान्यवर,


संक्षिप्त विवरण :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5168-II/15

जिला-रीवा

सुरेश प्रसाद वर्मा/प्रेमवती विश्वकर्मा

(1)	(2)	(3)
17.05.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	